| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 8, Issue 8, August 2021 |

राजस्थान में नगर निगम प्रशासन: चुनौतियाँ एवं समाधान

Havir Singh

Assistant Professor, Department of Public Administration, Govt. College, Kaman, Bharatpur, Rajasthan, India

सार: राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 14 मार्च, 2020 को पेश किया गया। यह राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में संशोधन करता है। अधिनियम नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है। सदस्य को हटाना: अधिनियम राज्य सरकार को निर्दिष्ट आधारों पर नगरपालिका के सदस्यों को हटाने का अधिकार देता है। सदस्य में नगर निगम का पार्षद, नगर परिषद का पार्षद और नगर बोर्ड के मामले में सदस्य शामिल हैं। हटाने के कुछ आधारों के लिए, विधेयक में कहा गया है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को हटा सकती है यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं: (i) उसके चुनाव के बाद यह पाया जाता है कि वह हटाने के इन आधारों पर अयोग्य था, और (ii) ऐसी पात्रता पर चुनाव याचिका द्वारा सवाल नहीं उठाया गया था और ऐसी याचिका दायर करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। हटाने के इन आधारों में शामिल हैं: (i) भारत का नागरिक न होना, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होना, या किसी कानून के तहत मतदान से अयोग्य होना, सहित मतदाता सूची में पंजीकरण से अयोग्य होने के आधार, (ii) कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि, दिवालियापन, या दो से अधिक बच्चे होने सहित सदस्यों की सामान्य अयोग्यता के आधार, और (iii) योग्यता की आवश्यकताओं को पूरा न करना, जिसमें घर में कार्यात्मक स्वच्छ शौचालय होना, माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण करना, आरक्षित सीटों के लिए पात्रता शामिल है।

I. परिचय

बशर्ते कि नगर पालिका द्वारा भवन योजनाओं की मंजूरी किसी भी तरह से आवेदक के पक्ष में हक सृजित करने के समान नहीं होगी।(4)(ए)नगरपालिका उप-नियमों द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि उप-धारा (2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे;(बी)नगरपालिका आवेदन पर निर्णय लेगी तथा आवेदन प्राप्ति की तिथि से दो महीने के भीतर अपने लिखित आदेश देगी। नगरपालिका या कोई प्राधिकरण या अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत कोई समिति, मानचित्र प्रदान करने, अस्वीकृत करने या संशोधित करने या अन्य शर्तें या प्रतिबंध लगाने के लिए भी सक्षम होगी, जैसा कि आवश्यक समझा जाए। ऐसे मामलों में जहां नगरपालिका दो महीने के भीतर अपना निर्णय देने में विफल रहती है, आवेदक नगरपालिका को इस आशय का एक महीने का स्पष्ट नोटिस देने के बाद, इसे डीम्ड अनुमति का मामला मानते हुए निर्माण कार्य शुरू कर सकता है। हालांकि, आवेदक और वास्तुकार या इंजीनियर की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि डीम्ड अनुमति के सभी मामलों में अधिनियम, नियमों और उप-नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जाता है।(5)जहां उप-धारा (1) के तहत प्रस्तुत आवेदन, बहु-मंजिला इमारत यानी पंद्रह मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारत, या पांच सौ वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में किसी संस्थागत परिसर या वाणिज्यिक परिसर से संबंधित है, नगरपालिका मांगी गई अनुमति देने से पहले राज्य सरकार के क्षेत्रीय नगर योजनाकार की सलाह प्राप्त करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित योजना और निर्माण नियमों, उप-नियमों और सार्वजनिक सुविधा के साथ असंगत नहीं है।(6)(क) नगरपालिका इस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर कार्रवाई करने की शर्तों, प्रतिबंधों, मानदंडों, विनिर्देशों और तरीके के संबंध में एकरूप प्रयोज्यता के लिए धारा 339 और 340 के अंतर्गत नियम और उप-नियम बनाएगी;(बी)जहां उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन गैर आवासीय भवन, बहुमंजिला भवन, परिसर या बेसमेंट के निर्माण से संबंधित है, वहां नगर पालिका मांगी गई अनुमति प्रदान करने से पूर्व क्षेत्र के नगर नियोजक की सलाह प्राप्त करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित योजना और निर्माण नियमों, उपनियमों और सार्वजनिक सुविधा के प्रतिकूल नहीं है।(7)(ए)कोई भी व्यक्ति नगर पालिका की लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करेगा तथा नगर पालिका सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर उसके आवेदन पर निर्णय लेगी;(बी)यदि आवेदक को दो माह की अवधि के भीतर निर्णय से अवगत नहीं कराया जाता है, तो उसे निर्माण शुरू करने से पहले नगरपालिका को एक माह का स्पष्ट नोटिस देना होगा, जिसमें उस अवधि के भीतर उसके आवेदन पर निर्णय लेने के लिए कहा जाएगा;(सी)यदि नगरपालिका फिर भी आवेदन का निपटारा करने में या मामले में की जा रही कार्रवाई के बारे में व्यक्ति को सूचित करने में असफल रहती है, तो आवेदक इसे नगरपालिका की अनुमति मानकर निर्माण कार्य शुरू कर सकता है, किन्तु वह इस अधिनियम, नियमों या इसके अधीन बनाए गए उपनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं करेगा;(डी)लिखित अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, जहां किसी व्यक्ति ने उप-धारा (1) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है, 250 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र पर प्रस्ताव पहली मंजिल तक एक व्यक्तिगत एकल आवासीय इकाई के निर्माण के लिए है, और इमारत की कुल ऊंचाई सड़क के स्तर से दस मीटर से अधिक नहीं है, जिसमें छत और किसी अन्य संरचना की मोटाई शामिल है। हालांकि, यह प्रावधान किसी भी दीवार वाले शहर के क्षेत्र में लागू नहीं होगा, जहां अलग-अलग उप-नियम अस्तित्व में हैं या किसी ऐसे क्षेत्र में जिसे किसी कानून के तहत विरासत क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है;(इ)मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या अनुमति देने की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत समिति के अध्यक्ष को आवेदन पर निर्णय लेने या यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य स्वीकृत योजना के अनुसार किया जा रहा है,

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 8, Issue 8, August 2021 |

किसी भी समय स्थल या भवन का निरीक्षण करने और माप लेने की शक्ति होगी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी भवन बनाते या फिर से बनाते समय स्वीकृत योजना और उसमें लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा और उसके लिए ऐसे व्यक्ति से ऐसे निर्माण या किसी ऐसे निर्माण को हटाने या गिराने के लिए कहना वैध होगा जो स्वीकृत योजना का उल्लंघन करता हो। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के लिए यह भी वैध होगा कि वह संबंधित व्यक्ति को निर्माण रोकने का निर्देश दे जहां निर्माण बिना अनुमति के चल रहा हो;(एफ)मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के लिए यह वैध होगा कि वह इस धारा के उपबंधों को लागू करने के लिए सम्पूर्ण परिसर या उसके किसी भाग को अभिगृहीत कर अपने कब्जे में ले ले तथा ऐसे परिसर के उपयोग पर उसके द्वारा नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिषेध कर दे।(8)नगरपालिका ऐसे किसी आवेदन पर निर्णय नहीं लेगी जिसमें वर्तमान भूमि उपयोग में परिवर्तन शामिल हो तथा ऐसे परिवर्तन के लिए धारा 182 के अंतर्गत अनुमति की आवश्यकता हो। इस खंड में उल्लिखित आवेदनों को आवेदक को सूचित करते हुए तथा उसे कार्य आरंभ न करने के निर्देश देते हुए राज्य सरकार या संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाएगा।(9)(ए)15 मीटर से अधिक ऊंची किसी भी इमारत के पूरा होने के बाद लेकिन उसमें रहने से पहले, इमारत के मालिक को (सुरक्षा प्रमाणपत्र और वास्तुकार/इंजीनियर द्वारा अन्य तथ्यों के सत्यापन के साथ) अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी आवश्यक निरीक्षण की व्यवस्था करने के बाद ऐसा प्रमाणपत्र जारी करेगा या मालिक से दोषों को, यदि कोई हो, दूर करने के लिए कहेगा, जैसा कि उसे आवश्यक लगे, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से विशिष्ट अवधि के भीतर। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि आवेदक ने मंजूर किए गए नक्शे का उल्लंघन नहीं किया है। मालिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ऐसी इमारत पर कब्जा न करे या उसे रहने न दे;(बी)जो कोई खंड (क) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, [1,2,3]उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो तीस हजार रुपए से कम नहीं होगा किंतु पचास हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में, उल्लंघन के प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपए के जुर्माने से, जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दंडित किया जाएगा।(10)(ए)यदि कोई व्यक्ति किसी भवन या उसके किसी भाग में किसी प्रकार का निर्माण या पुनः निर्माण आरम्भ करता है, जारी रखता है या पूरा करता है या कोई भौतिक परिवर्तन करता है, या किसी भवन के किसी उभरे हुए भाग का निर्माण या पुनः निर्माण करता है जिसके संबंध में नगरपालिका को धारा 192 के अंतर्गत उभरे हुए भाग को हटाने या नियमित लाइन में सेट बैक की बहाली लागू करने के लिए सशक्त किया गया है, या उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किए बिना किसी कुएं या बोरिंग के निर्माण या विस्तार में संलग्न होता है, तो उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक माह से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा;(बी)यदि कोई व्यक्ति स्वीकृत योजना के उल्लंघन में या उस पर लगाए गए मानदंडों, शर्तों, प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी भवन या उसके किसी भाग में निर्माण या पुनः निर्माण शुरू करता है या जारी रखता है या पूरा करता है या कोई भौतिक परिवर्तन करता है, तो उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर साधारण कारावास से, जो पंद्रह दिनों से कम नहीं होगा, लेकिन जो पैंतालीस दिनों तक बढ़ सकता है या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो बीस हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा;(सी)यदि कोई व्यक्ति जिसने उपधारा (१) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया है और उपधारा (७) के खंड (घ) के अधीन प्रदत्त सुविधा का लाभ उठाया है, ऐसे निर्माण के लिए निर्धारित शर्तों, प्रतिबंधों और मानदंडों का उल्लंघन करता है, तो सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर साधारण कारावास से, जो पंद्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु पैंतालीस दिन तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा;(डी)यदि यह पाया जाता है कि वास्तुकार या इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित और प्रमाणित मानचित्र इस धारा के प्रावधानों या इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों, उप-नियमों या आदेशों के साथ असंगत है, तो ऐसे वास्तुकार या इंजीनियर को काली सूची में डाल दिया जाएगा और उसका पंजीकरण नगरपालिका द्वारा रद्द कर दिया जाएगा और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर साधारण कारावास से दण्डित किया जाएगा, जो एक महीने से कम नहीं होगा, लेकिन दो महीने तक बढ़ाया जा सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा या, प्रत्येक मामले में दोनों से दण्डित किया जाएगा;(इ)यदि यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने नगर पालिका की अनुमति प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं या गलत और झूठा बयान दिया है या शपथ पत्र में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, तो उस पर संबंधित कानूनों के तहत फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और छिपाने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उक्त कृत्य में शामिल नगर पालिका के अधिकारी, यदि कोई हो, सहित ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ बिना देरी के आपराधिक कार्यवाही शुरू करे;(एफ)इस धारा के संचालन के लिए सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या इस प्रयोजन के लिए अभिलेख रखने वाला अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा यदि उप-धारा (1) के तहत प्राप्त आवेदन के निपटान के लिए नियत अवधि और उप-धारा (4) के खंड (बी) के तहत प्राप्त किसी भी नोटिस के मामले में जानबूझकर अनदेखी की जाती है। ऐसी अनदेखी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या व्यक्तियों को सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर एक महीने के लिए साधारण कारावास या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा, [2,3,4]लेकिन जो दस हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा;(जी)नगरपालिका का कोई कर्मचारी, जिसे किसी विशेष क्षेत्र के लिए कर्तव्य सौंपे गए हैं और इस धारा के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे उल्लंघनों की बिना देरी के ठीक से रिपोर्ट की जाए और उन्हें इस उद्देश्य के लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाए और अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए और यदि यह साबित हो जाता है कि उसने जानबूझकर या जानबूझकर ऐसे

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 8, Issue 8, August 2021 |

अनधिकृत निर्माण को रोकने और रिपोर्ट करने की उपेक्षा की है, तो उसे धारा 245 की उपधारा (18) के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा;(एच)नगरपालिका को बिना अनुमति के, या स्वीकृत मानचित्र के मानदंडों का उल्लंघन करके या आवेदन प्रस्तुत किए बिना शुरू किए गए किसी भी कार्य को रोकने का अधिकार होगा;(मैं)चूककर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने के अतिरिक्त, नगर पालिका को इस धारा में उल्लिखित बिना अनुमति के या अनुमति का उल्लंघन करके किए गए निर्माण या धोखाधड़ी आदि द्वारा अनुमति मांगे जाने पर पूरे निर्माण या उसके हिस्से को ध्वस्त करने की शक्ति होगी।(11)'नहीं' नगरपालिका शुष्क शौचालयों के निर्माण की अनुमति नहीं देगी और यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र के भीतर शुष्क शौचालय का निर्माण या रखरखाव करता है तो नगरपालिका ऐसे शौचालयों को ध्वस्त करने के लिए कदम उठाएगी।(12)कोई भी व्यक्ति, जो नगरपालिका या उसके द्वारा अधिकृत समिति के किसी आदेश या विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश के विरुद्ध ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अपील दायर कर सकेगा।

II. विचार-विमर्श

नगर निगम भर्ती में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सरकार की तरफ से बंपर भर्तियां निकाली जाने वाली है। सरकार ने नगर निगम 2020 में हजारों पदों पर बिना परीक्षा की सीधी भर्ती करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके तहत मध्य प्रदेश नगर पालिका परिषद की तरफ से विभिन्न प्रकार के पदों पर 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए भर्ती के नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं। आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तो यह अवसर आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो नगर निगम भर्ती 2020 के फॉर्म कब भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होंगे और आवेदन कैसे करना है। इन सभी की जानकारी आपको आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। नगर निगम भर्ती आवेदन फार्म की तिथि जानने और आवेदन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस जानने के लिए हमारे द्वारा बताए गए तरीके को फॉलो करें। राज्य के लाखों बेरोजगार युवा नगर निगम भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बता दें की 2020 में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सरकार ने नगर निगम में पड़े खाली पदों को भरने का निर्णय लिया है। जिसके लिए जल्द से जल्द भर्ती करने की घोषणा की गई है। सरकार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए नगर निगम भर्ती 2020 के तहत खाली पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने की घोषणा की है।

नगर निगम भर्ती 2020 के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। आवेदन करने के लिए नगर निगम की तरफ से कुछ आयु सीमा रखी गई है। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपकी आयु 21 से 64 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ आरक्षित श्रेणी के वर्गों को सरकारी नियम अनुसार आयु में कुछ छूट भी दी जा सकती है। इस भर्ती में कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, वाहन चालक, इलेक्ट्रीशियन एवं अन्य कई खाली पदों के लिए नियुक्ति की जाएगी। जो आपको नगर निगम की ऑफिशल वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगे।[3,4,5]

नगर निगम भर्ती के लिए पात्रताएं
नगर निगम भर्ती 2020 में फॉर्म भरने के लिए आपकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 64 वर्ष होनी चाहिए।
नगर निगम भर्ती 2020 में आवेदन करने वाला नागरिक मध्य प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
आवेदन करने वाले छात्र के पास दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र और 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
आवेदन करने के लिए आपको आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा।
नगर निगम भर्ती 2020 का फॉर्म भरने के लिए आपसे ₹100 का आवेदन शुल्क लिया जाएगा।
इसके अलावा कुछ आरक्षित श्रेणी को श्रेणी वर्ग के नागरिकों को आवेदन शुल्क में सरकारी नियम अनुसार छूट भी दी जाएगी।
जिसकी आधिकारिक जानकारी आपको ऑफिशल वेबसाइट के नोटिफिकेशन में मिलेगी।
नगर निगम भर्ती के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
नगर निगम भर्ती योजना में फॉर्म भरने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए।
आवेदक के पास एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर ओटीपी आ सके।
आवेदक जिस पोस्ट पर आवेदन करना चाहता है। उस पोस्ट से संबंधित आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए।
आवेदक के पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए।
आवेदक के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
जिस स्थान पर आवेदक रहता है उसका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
उसके अलावा आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताए गए सभी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
नगर निगम भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?
नगर निगम भर्ती 2020 में आवेदन करने के लिए आपको हमारे द्वारा बताई गई प्रक्रियाओं का पालन करना है। हमारे द्वारा बताए गए प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपने मोबाइल फोन से नगर निगम भर्ती 2020 का आवेदन आसानी से कर पाएंगे।

नगर निगम भर्ती 2020 में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले नगर निगम आयुक्त की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है।

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 8, Issue 8, August 2021 |

अब आपके सामने ऑफिशल वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा।
होम पेज पर आपको नोटिफिकेशन अनुभाग के विकल्प पर जाना है।
नोटिफिकेशन विकल्प खोलने के बाद आपके सामने नई भर्ती 2020 का विकल्प होगा। आपको इस पर क्लिक करना है।
अब आपको नगर निगम भर्ती 2020 का लिंक दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक कर देना है।
अब आपके सामने नगर निगम भर्ती का आवेदन फार्म खुल जाएगा।
इस फॉर्म में आपको अपने दस्तावेजों अनुसार सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भर लेनी है।
सारी जानकारी भरने के बाद आपको अपने दस्तावेजों को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर देना है।
जानकारी भरने के बाद और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
इस प्रकार आपका आवेदन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा।
अब आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर का एक प्रिंटआउट निकाल कर रख लेना है।[4,5,6]
राजस्थान में 11 नगर निगम , 33 नगर परिषद और 169 नगर पालिका बोर्ड या नगर पंचायत हैं । इस प्रकार राजस्थान में कुल 213 नगर पालिकाएं या शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) हैं। [1] राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासन को नियंत्रित करता है। [2]राजस्थान सरकार का स्थानीय स्वशासन विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं के प्रशासन की निगरानी करता है। [3] राज्य में नागरिक निकाय के अंतिम चुनाव 2019 में हुए थे, जहां संयुक्त 2,105 वार्डों वाले 49 नगर निकाय के चुनाव हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 961 वार्ड जीते, भारतीय जनता पार्टी ने 737 वार्ड जीते, बहुजन समाज पार्टी ने 16 वार्ड जीते, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने तीन वार्ड जीते और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दो वार्ड जीते। [4]

III. परिणाम

अभिलेख मांगने की शक्ति।
(1)राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकरण कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किसी नगरपालिका, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, किसी सदस्य या अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से पारित किसी आदेश या संकल्प की शुद्धता, वैधानिकता या प्रणाली के बारे में समाधान होने के उद्देश्य से, सुसंगत अभिलेख मंगाया जाएगा और ऐसा करते हुए निर्देश दे दिया जाएगा कि ऐसे अभिलेखों की जांच होने तक ऐसा आदेश या संकल्प रखा जाएगा और उस पर आगे कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा ऐसी जांच न कर ली जाए और उपधारा (2) के अधीन आदेश न कर दिया जाए।(2)अभिलेखों की जांच करने के पश्चात राज्य सरकार या पूर्वोक्त रूप से प्राधिकृत अधिकारी ऐसे आदेश या संकल्प को रद्द, उलट या प्रमाण कर सकता है तथा राज्य सरकार या पूर्वोक्त रूप से प्राधिकृत अधिकारी का आदेश अंतिम होगा तथा नगरपालिका पर निर्भर होगा।

राजस्थान नगर निगम ने रद्द की सफाई कर्मियों की भर्तियां, 13184 पदों के लिए मांगे गए थे आवेदन
Rajasthan Govt jobs 2020: राजस्थान नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्तियों के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है. कुल 13814 पदों पर भर्तियों के लिए अधिसूचना जारी की गई थी.

राजस्थान के नगर निगमों की सूची। [५] जयपुर , जोधपुर और कोटा में अक्टूबर २०१९ से दो-दो नगर निगम हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या १० लाख से अधिक हो गई है। [६] इसलिए, राजस्थान में सात शहरों के लिए १० नगर निगम हैं। जयपुर में 100 वार्डों वाला एक हेरिटेज नगर निगम और 150 वार्डों वाला एक बड़ा जयपुर नगर निगम है। जोधपुर में उत्तरी और दक्षिणी राजस्थान के लिए अलग-अलग यूएलबी हैं, जिनमें से प्रत्येक में 80 वार्ड हैं। कोटा में भी उत्तरी और दक्षिणी त्रिपुरा के लिए अलग-अलग यूएलबी हैं, जिनमें से प्रत्येक में 70 और 80 वार्ड हैं।[5,6]

क्र.सं.	नाम	: ...
1	अजमेर नगर निगम	http://ajmermc.org
2	बीकानेर नगर निगम	http://bikanermc.org
3	जयपुर नगर निगम ग्रेटर	http://jaipurmc.org
4	जयपुर नगर निगम हेरिटेज	http://jaipurmcheritage.org
5	जोधपुर नगर निगम उत्तर	https://urban.rajasthan.gov.in/mcjn
6	जोधपुर नगर निगम दक्षिण	https://urban.rajasthan.gov.in/mcjs
7	कोटा नगर निगम उत्तर	http://kotamc.org

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 8, Issue 8, August 2021 |

क्र.सं.	नाम	: ...
8	कोटा नगर निगम दक्षिण	
9	उदयपुर नगर निगम	http://www.udaipurmc.org
10	भरतपुर नगर निगम	https://www.bharatpurmc.co.in
11	अलवर नगर निगम	

IV. निष्कर्ष

नगर निगम एक स्थानीय स्वशासन है जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 के तहत अस्तित्व में आया है। राजस्थान भारत के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक है और इसके लोग खुद को बदलते वैश्विक परिदृश्य से अवगत रखने में काफी सक्रिय हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, कुशल और प्रभावी सेवा वितरण के लिए नागरिकों की बढ़ती जरूरतों, बेहतर नागरिक सुविधाओं के साथ बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के साथ, विभाग की गतिविधियों में कई गुना वृद्धि हुई है। कुशल और प्रभावी सेवा वितरण के लिए, विभाग सार्वजनिक सेवाओं की पारंपरिक वितरण प्रणाली को शासन की नई और बेहतर प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जो बेहतर काम करती है, कम लागत वाली है और नागरिकों की जरूरतों को आसानी से पूरा करने में सक्षम है।[6]

संदर्भ

1. "वार्षिक रिपोर्ट 2015-16" (पीडीएफ) । स्थानीय स्वशासन विभाग, गोरराज । पी.पी. 81-83 । 1 अप्रैल 2017 को लिया गया।
2. ^ "राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009" (पीडीएफ) । शहरी पोर्टल, राजस्थान सरकार । 7 अक्टूबर 2020 को लिया गया ।
3. ^ "होम पेज" । स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार। 8 अक्टूबर 2020 को लिया गया ।
4. ^ स्क्रॉल स्टाफ़। "राजस्थान नगर निगम चुनाव: कांग्रेस ने 961 वार्ड जीते, भाजपा को 737 मिले" । स्क्रॉल.इन । 7 अक्टूबर 2020 को लिया गया ।
5. ^ "नगरपालिकाएँ और स्थानीय निकाय-वेब निर्देशिका" . rajasthan.gov.in . rajasthan.gov.in . 11 जून 2015 को लिया गया.
6. ^ www.ETGovernment.com. "राजस्थान: जयपुर, जोधपुर और कोटा को अतिरिक्त नगर निगम मिलेंगे - ET सरकार" ETGovernment.com । 8 अक्टूबर 2020 को लिया गया ।